डिकीदार अनुपस्थित उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। मद्यूनगण अनिवार्हित।

प्रकरण वसूली वारंट की रिपोर्ट हेतु नियत है। वसूली वारंट जारी किये जाने बावत तलवाना पेश नही। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक की ओर से 2016 से तलवाना पेश नहीं किया जा रहा है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि डिकीदार उक्त प्रकरण में कोई रूचि नहीं ले रहा है। इस समय ्रभी श्री अनुपरिथत गर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र० 4:45 होने को हैं। डिकीदार एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित एवं तलवाना के अभाव में प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।